पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001
ई मेल : office.md@uppcl.org
कार्यालय : 0522 - 2288377

पत्रांकः 105/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांकः 08/01/2026

विषय :– ''बिजली बिल राहत योजना 2025–26'' के अन्तर्गत किश्तों में जमा की जाने वाली शेष बकाया राशि का ''एकमुश्त पूर्ण भुगतान'' किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
[md@pvvnl.org / md@dvvnl.org / md@mvvnl.org / md@puvvnl.in / mdkesco@kesco.org.in]

विदित है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 3308/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांक 13.11.2025 निर्गत करते हुए समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल0एम0वी0–1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु ''बिजली बिल राहत योजना 2025–26'' लागू की गयी है।

योजना के बिन्दु 5 (ज) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल व मासिक किश्त से अधिक धनराशि का एडवांस भुगतान किया जा सकेगा। एडवांस भुगतान करने पर भी उपभोक्ता को अगले महीने के विद्युत बिल व मासिक किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करना होगा अन्यथा किश्त डिफाल्ट हो जायेगी। पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा किये गये एडवांस भुगतान को अंतिम किश्तों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता, किश्तों में जमा की जाने वाली शेष बकाया राशि का एकमुश्त पूर्ण भुगतान भी कर सकता है। ऐसा करने पर उपभोक्ता को किश्तों में भुगतान हेतु निर्धारित छूट दी जायेगी।

अनुरोध है कि उक्त से सभी संबधित कार्मिकों को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

08/1/26.
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त निदेशक (वाणिज्य), समस्त विद्युत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
5. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।